

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक : 3445-3485

दिनांक : 8/12/2020

समस्त जिला कोषाधिकारी (अल्प बचत),
राजस्थान।

विषय :- कार्यालय प्रधान महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि
04/2019 से 03/2020 की अनुपालना बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय के दिनांक 19.08.2020 व दिनांक 08.09.2020
के क्रम में।

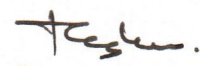
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन 04/2019 से 03/2020 में बकाया आक्षेप की अनुपालना हेतु सभी जिला कोष कार्यालय (अल्प बचत) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएँ बिन्दु टिप्पणी सहित शीघ्र प्रेषित करावें।

1. 2019-20 में MPKBY योजना के तहत जिले में कार्यरत अभिकर्ता, नियुक्ति कब-कब व कितनी अवधि के लिए की गई ?
2. वर्ष 2019-20 में जिलेवार कुल कितने MPKBY अभिकर्ताओं का नवीनीकरण किया गया है और कितनों के आवेदन लम्बित है ?
3. MPKBY अभिकर्ताओं द्वारा 2019-20 में डाकघर में कब-कब व कितनी राशि जमा करवाई गई है ?
4. MPKBY अभिकर्ताओं को विभाग द्वारा कमीशन में वर्ष 2019-20 में कितनी राशि दी गई ?
5. MPKBY योजना के प्रचार-प्रसार हेतु किया गया व्यय व उपायों का विवरण।

निदेशालय कोष एवं लेखा में आदिनांक तक सभी कोष कार्यालयों, अल्प बचत से अपेक्षित सूचना अप्राप्त है। अतः पुनः तृतीय स्मरण पत्र द्वारा निर्देशित किया जाता है कि जिन कोष कार्यालयों द्वारा अभी तक भी सूचना नहीं भिजवाई गई हैं वे सभी 03 दिवस के भीतर निदेशालय कोष एवं लेखा के अल्प बचत अनुभाग की मेल Id :- **ddss-ta-rj@nic.in** पर अथवा पत्राचार द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त सूचना में देरी (delay) के लिए जिला कोषाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

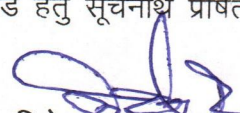
इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (एसीपी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।


उप निदेशक (अल्प बचत)